

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प टाकरवाडा

उनवान

मूल चन्द पुत्र पन्नालाल जाति गूजर निवासी नयागांव उर्फ हरिपुरा तहसील दीगोद जिला
कोटा

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादी


वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर- 121/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुकम दिया जाता है कि "वाद वादी मजमें आम में प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नयागांव उर्फ हरिपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 327/2 रकबा 0.18 हे0, ख0नं0 352/2 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 473 रकबा 0.68 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.97 हे0 भूमि एवं ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1461/949 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 1462/1144 रकबा 0.42 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.59 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मूलीलाल के स्थान पर मूल चन्द उर्फ मूलीलाल पुत्र पन्ना दर्ज किया जावे।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 22.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुकमनामा	0	0	बाबत इजराय हुकमनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद